

17.08.17

पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक सच में कार्य का बहिष्कार किया है।  
प्र. सहाय वीरे/स्थानान्तरण पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दि० 14.09.17 को पेश हो।

Praveen  
रीडर

14.09.17

वकील उन्मेष उपा. पत्रा में बहरीलक्ष्मी  
स्त्रीपुर को स्मरण पत्र लिखा जाकर दि.  
13.10.17 को पेश हो।

13.10.17

वकील उन्मेष उपा. विभाजन स्कीम प्राप्त  
हो चुकी है जो शांति की गई। पत्रा. वाले  
बहस विभाजन स्कीम दि. 30.10.17 को पेश हो।

30.10.17

वकील <sup>जारीया</sup> (अभिभाषक) उपा. प्रतियादी नं० 1 ग 4  
दिनांक 04.03.16 को उपस्थित नहीं होने पर उनके  
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है एवं  
प्रतियादी नं० 5 दिनांक 02.06.16 के पश्चात उपस्थित  
न्यायालय नहीं हुआ है। अतः प्रतियादी नं० 5 के  
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील  
वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने  
विभाजन स्कीम अनुसार दवा डिक्री करने का  
निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। भूतानिक विभाजन स्कीम  
वाद जारीया क्षतिम डिक्री किया जाता है। पत्रा  
डिक्री जारी किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का  
जुज पोरशन रहेगा।

पत्रावली फैंसलसुमा होकर नंबर से  
कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार  
हो।

सहायक कलक्टर  
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी (स०मा०)